

**Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-1/2024 dated \_\_\_\_\_ as required under clause(3) of article 348).**

**Government of Himachal Pradesh  
Elementary Education Department**

**No. EDN-C-A(3)-1/2024**

**Dated: Shimla-02, the**

**10<sup>th</sup> October, 2024**

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Special Educator(For Pre-Primary to Class-V), Group-C(Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification namely:-

Short title and  
Commencement

- 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Elementary Education Department, Special Educator (For Pre-Primary to Class-V), Group-C, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

**By order**

**Rakesh Kanwar  
Secretary(Education) to the  
Government of Himachal Pradesh  
10<sup>th</sup> October, 2024.**


**No. No. EDN-C-A(3)-1/20204**

**Dated: Shimla -02, the**

**10<sup>th</sup> October, 2024.**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The Director of Elementary Education HP Shimla with request to upload the same on departmental website.
3. The Secretary, HP Public Service Commission Shimla-02.
4. The Secretary, HP Rajya Chayan Ayog, Hamirpur, Distt. Hamirpur, HP .
5. The JLR-cum-Joint Secretary (Law), H.P. Secretariat, Shimla-2
6. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Govt. Press, Shimla-5 .
7. Guard file.

  
**(Sunil Verma)  
Joint Secretary (Education) to the  
Government of Himachal Pradesh.  
0177-2626450**

**Annexure-“A”**

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL  
EDUATOR( FOR PRE-PRIMARY TO CLASS-V), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN  
THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH**

<b>1</b>	<b>Name of post</b>	<b>Special Educator ( For Pre-Primary to Class-V)</b>
<b>2</b>	<b>Number of Post(s)</b>	138 (One hundred thirty eight)
<b>3</b>	<b>Classification</b>	Group-C
<b>4</b>	<b>Scale of Pay (Be given in expanded notation)</b>	(i) <u>Pay Band for regular incumbent(s):</u>  “Level 8 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022”.  (ii) <u>Pay Band for contractual incumbent(s):</u>  “60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022”
<b>5</b>	<b>Whether selection post or Non selection post</b>	Non-Selection
<b>6</b>	<b>Age for direct recruitment</b>	<b><u>18 to 45 years.</u></b>  Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on ad-hoc basis or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her ad-hoc or contract appointment: Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Caste /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government. Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector



		<p>Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.</p> <p><u>Note:</u> Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.</p>
7	<p><b>Educational Qualifications</b></p>	<p><b>(a) <u>ESSENTIAL QUALIFICATION:-</u></b></p> <p><b>(1) <u>Special Educator(Pre-Primary to Class-V):-</u></b></p> <p>(i) <b>10+2 from recognized Board with at least 50% marks or Graduation in any stream from Recognized University.</b></p> <p>(ii) <b>D.Ed. in Special Education from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved Institute and possess a valid RCI &amp; CRR number.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p><b>D.El.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved Institution and possess a valid RCI &amp; CRR Number.</b></p> <p>(iii) <b>Six-month training of teaching in cross disability area in inclusive education(**).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AND</b></p> <p>(iv) <b>Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, District Kangra or any other Agency authorized by the Government.</b></p> <p>(**) If the proposed programme(cross disability/top up courses being developed by RCI as on in service training is</p>



		<p>not available same may be dropped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.Ed. Special Education have to compulsory undergo aforesaid training as soon as same is conducted.</p> <p><u>Note:</u> A candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:</p> <p>Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.</p> <p><b>(b) <u>DESIRABLE QUALIFICATION(s):</u></b></p> <p>Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8	<b>Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</b>	<p>Age: Not Applicable</p> <p>Educational qualification(s): Not Applicable</p>
9	<b>Period of probation, if any</b>	<p><b>1. Direct Recruitment:-</b></p> <p>(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis.</p> <p><b>2. Promotion:-</b>Not Applicable</p>
10	<b>Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and percentage of posts to be filled in by various methods.</b>	<p>100% by direct recruitment, on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.</p>
11	<b>In case of recruitment by promotion/</b>	<b><u>Not Applicable</u></b>



	Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made.	
12	If a Departmental Promotion committee exists. What is its Composition.	(i) <u>Departmental Promotion Committee:-</u>  Not Applicable (ii) <u>Departmental Confirmation Committee:-</u>  As may be constituted by Government from time to time.
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(H.P.P.S. C) is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14	Essential requirement for a direct recruitment :	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
15 - A	Selection for appointment to the post by contract recruitment.	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-  <b>(I) <u>CONCEPT:</u></b>  <b>(a)</b> Under this policy, the Special Educator(For Pre- Primary to Class-V), Group-C, (Non Gazetted) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:  Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during

the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

**(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:-**

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting Agency/authority, as the case may be.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-**

The Special Educator(for Pre-Primary to Class-V) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 17,820/-PM(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).

**(III) APPOINING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:-**

The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:-**

**(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:**

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:-**

**(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:-**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.

**(VI) AGREEMENT:-**

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-“B”** appended to these rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:-**

- (a)** The Special Educator(For Pre-Primary to Class-V) will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.17,820/P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre)
- (b)** The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c)** Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is

admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.


- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above,





		<p>she may be appointed to the post kept reserved for her.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).</p>
16	<b>Reservation</b>	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	<b>Departmental Examination</b>	Not applicable
18	<b>Power to Relax</b>	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

\*\*\*

  
 (Sunil Verma)  
 Joint Secretary(Education) to the  
 Government of Himachal Pradesh  
 0177-26262450

**Annexure-B**

**Form of contract/ agreement to be executed between the Special Educator( For Pre-Primary to Class-V) (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/O Shri \_\_\_\_\_ R/O \_\_\_\_\_ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster ( here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator(for Pre-Primary to Primary) ( Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on \_\_\_\_\_. And information/ notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 17,820/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall



automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

(Signature of the Second PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

\*\*\*



हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

संख्या ईडीएन-सी-ए(3)-1/2024

तारीख: शिमला-2,

10 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

राकेश कवर  
सचिव (शिक्षा)


हिमाचल प्रदेश सरकार।

10 अक्टूबर, 2024

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। दिनांक: शिमला-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला-1।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला-02।
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
5. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02।
6. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2।
10. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5।
11. गार्ड फाईल।



(सुनिल वर्मा)  
संयुक्त सचिव (शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध- 'क'

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए)
2.	पद (पदों) की संख्या	138 (एक सौ अड़तीस)
3.	वर्गीकरण	गुप -सी
4.	वेतनमान	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान:  "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर 8" ।  (ii) संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:  हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत ।
5.	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष:  परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:  परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा;  परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:  परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए

*Sunil*

		<p>गए हैं/ किए गए थे।  टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।</p>
7,	शैक्षिक अर्हताएं	<p>(क) <u>शैक्षिक अर्हताएं:-</u></p> <p>(1) <u>विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए):-</u></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित दस जमा दो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक।</p> <p>(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।  या  भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा) सहित शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।</p> <p>(iii) समावेशी शिक्षा में क्रॉस डिसेबिलिटी क्षेत्र में अध्यापन छह मास का प्रशिक्षण (***)।  और  (iv) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगडा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण हो।</p> <p>(***) यदि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए जा रहे प्रस्तावित कार्यक्रम ( क्रॉस डिसेबिलिटी/टॉप अप पाठ्यक्रम) सेवारत प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें इस शर्त के साथ अर्हता से हटाया जा सकेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0)/शिक्षा स्नातक (बी0एड0) विशेष शिक्षा सहित भर्ती अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा जितना शीघ्र उससे संचालित किया जाता है।</p> <p>टिप्पण :- अभ्यर्थी ने दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उत्तीर्ण की हो:</p> <p>परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।</p> <p>(ख) <u>वाँछनीय अर्हता (अर्हताएं):</u></p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>

*Sund*

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	1 सीधी भर्ती : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी। 2 प्रोन्नति: लागू नहीं ।
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता	यथास्थिति, 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।
11	प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैकेण्डमैण्ट /स्थानान्तरण किया जाएगा	लागू नहीं ।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	(i) <u>विभागीय प्रोन्नति समिति:</u> लागू नहीं । (ii) <u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u> जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।



15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क	संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	<p>इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :-</p> <p>(I) <u>संकल्पना:</u></p> <p>(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:</p> <p>परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आना:</p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।</p> <p>(ग) पद के चयन हेतु अभ्यर्थी को भर्ती और प्रोन्नति में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करना होगा।</p> <p>(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां :</u></p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), को ₹ 17,820/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम( जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।</p> <p>(III) <u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</u></p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p> <p>(IV) <u>चयन प्रक्रिया:</u></p> <p>(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने हेतु:-</p>

4-1



संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आना:-

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 17,820/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए

545

हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों

545

		<p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।</p>
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं।
18	.शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा -V के लिए) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
..... निवासी .....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .....को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .....के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1 यह कि प्रथम पक्षकार ..... के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .....को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 17,820/- प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5 नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को

इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6 संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7 चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- 8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

**साक्षियों की उपस्थिति में:**

1 .....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1 .....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)